



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 - संस्थागत एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

नई दिल्ली/NEW DELHI - 110016.

दूरभाष/TEL 26858570, फ़ैक्स/FAX 26415179

वेबसाइट: www.kvsangathan.nic.in

ई-मेल/E-mail: kvshqadalat@gmail.com

F.NO.110225/KVS(HQ)/CASH/2022-23/823

Date: 01.12.2022

NOTICE

Sub: -TTA Adalat-Redressal of Grievance regarding Transfer TA (TTA)

Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ), in its continued efforts to redress the grievances of its employees/retired employees has conducted many grievance redressal exercises/Adalats. In this series it has been now decided to provide an opportunity for redressal of grievances of employees pertaining to Transfer TA claims (TTA).

The grievance of employees related to Transfer TA claims may be forwarded to KVS(HQ) at kvshqadalat@gmail.com along with all relevant documents with a copy to concerned KV/RO. However, the matter under litigation will not be treated as grievances, hence may not be forwarded.

While submitting the grievance in soft copy through email, complete details such as name of applicant, name of KV, Regional Office, Particulars of grievances, transfer from to etc. should be mentioned clearly therein.

Kindly be informed that this exercise is exclusively dedicated for grievance redressal for TTA only, HENCE no other complaints/grievances will be entertained on this platform at this time.

The grievance may be submitted up to 12.12.2022 by 1 p.m.

Hindi version follows.



01.12.22

(Satya Narain Gulia)
Joint Commissioner (Finance)

For information: -

1. Deputy Commissioner/Directors, All Regional Offices/ZIETs, KVS-with the request to circulate the content of this notice among all the KVs under jurisdiction. A copy should also be uploaded on the official website of ROs and KVs for information of employees under their jurisdiction. Further, in case any grievance is already pending at RO level, the same should be disposed of immediately.

2. The Deputy Commissioner (EDP), KVS(HQ), New Delhi with the request to upload the notice on KVS website under the head "Announcement".



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. Of India)

क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़/Regional office, Chandigarh

एससीओ/SCO NO. 72-73, सैक्टर 31-ए/SECTOR 31-A, चंडीगढ़/ Chandigarh

Website: <https://rochandigarh.kvs.gov.in/>

ई मेल/E-Mail : kvsaccschd@gmail.com

फोन/Phone: 0172-2637973 (A/c)

F.16262/KVS(CR)/CHD/2022-23/12447से 12502

दिनांक :- 02.12.2022

✓ प्रधानाचार्य,

सभी केन्द्रीय विद्यालय,

चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत

विषय :- टीटीए अदालत - स्थानांतरण टीए के संबंध में शिकायत का निवारण ।

TTA Adalat- Redressal of Grievance regarding Transfer TA (TTA).

मैडम/सर,

ई - मेल द्वारा

उपरोक्त विषय पर केवीएस (मुख्यालय) नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ 110225/केवीएस (मुख्यालय) /कैश/2022-23/823 दिनांक 01.12.2022 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है (प्रतिलिपि संलग्न) कि उपरोक्त स्थानांतरण टीए दावों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायत केवीएस (सीआर) चंडीगढ़ को kvsaccschd@gmail.com पर सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ संबंधित केवी को कॉपी के साथ भेजी जा सकती है। हालाँकि, मुकदमेबाजी के तहत मामले को शिकायत के रूप में नहीं माना जाएगा, इसलिए इसे अग्रेषित नहीं किया जा सकता है।


अतः ई-मेल के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी में शिकायत दर्ज करते समय, पूर्ण विवरण जैसे आवेदक का नाम, केवी का नाम, शिकायतों का विवरण, से स्थानांतरण आदि में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

चंडीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्राचार्यों को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र की एक प्रति कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जानकारी के लिए केवी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जाए। इसके अलावा, यदि केवी स्तर पर कोई शिकायत लंबित है, तो उसे जल्द से जल्द निपटाया जाना चाहिए या मामले का पूरा विवरण गैर-निपटान के कारणों का उल्लेख करते हुए ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी पर इस कार्यालय को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

शिकायत 08.12.2022 तक दोपहर 1 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।

Encl: उपरोक्त अनुसार

भवदीय,



(टी. ब्रह्मानंदम)

सहायक आयुक्त &

प्रभारी उपायुक्त

Copy to:-

1. संयुक्त आयुक्त (वित्त) केवीएस (मुख्यालय) नई दिल्ली सूचनार्थ.
2. पी.ए. डीसी, केवीएस (आरओ) चंडीगढ़ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को केवीएस (आरओ) चंडीगढ़ की वेबसाइट पर "घोषणा" शीर्षक के तहत अपलोड करें।
3. कार्यालय अभिलेख.

प्रभारी उपायुक्त